निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या – 59/2024(रे0वाद)
दायर दिनांक – 07/08/2024
निर्णय दिनांक – 03/01/2025

अनवान

1. भोजा पिता भूरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम वेणाखेड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

–वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ जिला राजसमन्द

–प्रतिवादी

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री लूम्बसिंह, अधिवक्ता एवं श्री ओमप्रकाश अग्रवाल अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– पैरोकार सरकार

वाद पत्र :–अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धरा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि वादी की स्वामित्व व आधिपत्य व खातेदारी, भूमि राजस्व ग्राम वेणाखेडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2076 के खाता संख्या 4 आराजी नम्बर 124 क्षेत्रफल 0.0300 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.0300 हैक्टेयर, खाता संख्या 56 आराजी नम्बर 373 क्षेत्रफल 0.0200 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.0200 हैक्टेयर, खाता संख्या 68 आराजी नम्बर 136 क्षेत्रफल 0.0300 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.0300 हैक्टेयर व खाता संख्या 138 आरजी नम्बर 108 क्षेत्रफल 0.4400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 112 क्षेत्रफल 0.2300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 115 क्षेत्रफल 0.5700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 122 क्षेत्रफल 0.2200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 123 क्षेत्रफल 0.2200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 129 क्षेत्रफल 0.1500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 133 क्षेत्रफल 0.2600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 155 क्षेत्रफल 0.0800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 255 क्षेत्रफल 0.0600

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

हैक्टेयर, आराजी नम्बर 377 क्षेत्रफल 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 97 क्षेत्रफल 0.2700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 98 क्षेत्रफल 0.1200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 99 क्षेत्रफल 0.2900 हैक्टेयर, कुल किता 13 कुल क्षेत्रफल 2.9500 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 114 आराजी नम्बर 708 क्षेत्रफल 6.0800 हैक्टेयर, स्थित होकर वादी कि संयुक्त परिवार की सम्पति है, जो उत्तराधिकारी में वादी संयुक्त रूप से मिली होकर संयुक्त स्वामीत्व व अधिपत्य की है, किन्तु उक्त भूमि में वादी के पिता कि मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तरण खालते समय राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम गलत भोला पिता भुरा दर्ज हो गया जबकि वास्तविक में भोजा पिता भूरा दर्ज होना चाहिये था। परन्तु गलती से भोला पिता भुरा दर्ज हो गया था। वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 4 में क्रम संख्या 17 पर, खाता संख्या 56 में क्रम संख्या 25 पर, खाता संख्या 68 में क्रम संख्या 7 पर, खाता संख्या 138 में क्रम संख्या 2 पर, व खाता संख्या 114 में क्रम संख्या 14 पर भोला पिता भुरा नाम गलत है। वास्तव में भोजा पिता भुरा होना चाहिये था। पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण खोलते समय मेरे बोलते नाम भोला दर्ज कर दिया बिना जांच किये दुसरो के कहने से नाम भोला बता दिया गया था। जिससे मेरा वास्तविक नाम भोजा के बजाय राजस्व रेकार्ड में भोला दर्ज हो गया है वर्तमान जमाबन्दी में अभी तक चला आ रहा है उसको दुरस्त करवाने हेतु वाद पत्र पेश है।मेरे राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, वोटर आई. डी., आधार कार्ड, में मेरा नाम भोजा पिता भुरा दर्ज है एवं इसी नाम से मुझे पुकारा जाता है। मुझे कृषि भुमि पर ऋण वगैरहा लेने से जमीन की नकले निकलवाई तब मुझे गलत नाम का मुझे पता चला एवं जानकारी हुई।भुमि का नामान्तरकरण के समय में नाबालिग था एवं मेरे भाईयों के नाम के साथ मेरा नाम भोला पिता भुरा भुल से लिखा गया है जबकी मेरा नाम भोजा पिता भुरा है। राजस्व रेकार्ड में मिस्टेक हुई है जिसे सुधारने हेतु यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट पेश किया जा रहा है। श्रीमान तहसीलदार सा0 भूमि धारी होने से व राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने से पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त भुमि वेणाखेडा पटवार

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

मण्डल मदारिया तहसील देवगढ में स्थित होकर वाद पत्र न्यायालय आपको क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार कर राजस्व ग्राम वेणाखेडा पटवार मण्डल मदारिया में जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2076 के खाता संख्या 4 आराजी नम्बर 124 क्षेत्रफल 0.0300 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.0300 हैक्टेयर, खाता संख्या 56 आराजी नम्बर 373 क्षेत्रफल 0.0200 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.0200 हैक्टेयर, खाता संख्या 68 आराजी नम्बर 136 क्षेत्रफल 0.0300 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.0300 हैक्टेयर व खाता संख्या 138 आरजी नम्बर 108 क्षेत्रफल 0.4400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 112 क्षेत्रफल 0.2300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 115 क्षेत्रफल 0.5700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 122 क्षेत्रफल 0.2200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 123 क्षेत्रफल 0.2200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 129 क्षेत्रफल 0.1500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 133 क्षेत्रफल 0.2600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 155 क्षेत्रफल 0.0800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 255 क्षेत्रफल 0.0600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 377 क्षेत्रफल 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 97 क्षेत्रफल 0.2700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 98 क्षेत्रफल 0.1200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 99 क्षेत्रफल 0. 2900 हैक्टेयर, कुल किता 13 कुल क्षेत्रफल 2.9500 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 114 आराजी नम्बर 708 क्षेत्रफल 6.0800 हैक्टेयर, भूमि में भोला पिता भुरा नाम दर्ज है जो गलत है जबकि भोजा पिता भुरा होना चाहिये था व भोला पिता भुरा नाम का कोई पुत्र नही है व ताईद में शपथ पत्र, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, वोटर आई. डी., आधार कार्ड, संलग्न है। वादी के रेकार्ड में सुधार कर भोला पिता भुरा के बजाय भोजा पिता भुरा दर्ज करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करावे ।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी पेरोकार सरकार ने अपना जवाब प्रस्तुत किया कि वादी भोजा पिता भूरा निवासी वेणाखेड़ा का नाम ऑनलाईन जमाबंदी संवत् 2076 के खाता संख्या 51, 68, 114, 138 में सहखातेदारी रूप से भोला पिता भूरा दर्ज है जबकि ग्राम मौतबीरान से मजमें

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

आम में प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम में भोला पिता भूरा नाम से कोई व्यक्ति नहीं है उक्त भूमि काश्त कर्ता सहखातेदार का सही नाम भोजा पिता भूरा है जिसका आधार कार्ड में भी भोजा पिता भूरा दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम संवत् 2029–32 की जमाबंदी खाता संख्या 10 में प्रार्थी का नाम भोजा पिता भूरा दर्ज रिकॉर्ड था परंतु आगामी जमाबंदी में सेवन से नाम भोजा पिता भूरा की बजाय भोला पिता भूरा अंकित हो गया जो आज भी ऑनलाइन वर्तमान रिकॉर्ड में अशुद्ध रूप से अंकित है। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में पटवारी रिपोर्ट में भी अंकित है कि वादी का नाम भोला के बजाय भोजा किया जाना उचित है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 निम्न प्रकार है:–

88. Suits for declaration of right—

(1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy.
(2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant.
(3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant.

(4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or co-tenant of a holding or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person.

वादी ने ओर कोई साक्ष्य, सबूत पेश नही करना चाहा। अधिवक्ता वादी को सुना गया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादी स्वयं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपने वादपत्र को सिद्व करने में सफल रहा है।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

अतः वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर वादी के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां ग्राम वेणाखेड़ा पटवार मण्डल मदारिया तहसील देवगढ़ की जमाबन्दी संवत् 2076–2076 के खाता संख्या 4, 56, 68, 114, 138 में वादी का नाम भोला पिता भूरा के बजाय भोजा पिता भूरा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03/01/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर, देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)

भोजा बनाम सरकार
59 / 2024 (रे०वाद)
निर्णय दिनांक 03 / 01 / 2025

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– अर्चना चौधरी आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या :– 59 / 2024

अनवान

1. भोजा पिता भूरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम वेणाखेड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
–वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ जिला राजसमन्द
–प्रतिवादी

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री लूम्बसिंह, अधिवक्ता एवं श्री ओमप्रकाश अग्रवाल अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– पैरोकार सरकार

में इस आशय मे दिनांक 03 / 01 / 2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां ग्राम वेणाखेड़ा पटवार मण्डल मदारिया तहसील देवगढ़ की जमाबन्दी संवत् 2076–2076 के खाता संख्या 4, 56, 68, 114, 138 में वादी का नाम भोला पिता भूरा के बजाय भोजा पिता भूरा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 03 / 01 / 2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द